

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000172013

व्यवहार वाद क्र.-03ए/16

संस्थापित दिनांक-06.03.13

1.अब्दुल अलीम पुत्र करीम वक्स आयु 39 वर्ष।

वारिसान

1. (ए) शाहिस्ता पत्नी अब्दुल अलीम आयु 35 वर्ष

1. (बी) फिजा पुत्री अब्दुल अलीम आयु 13 वर्ष

1. (सी) फरजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 11 वर्ष

1. (डी) फैजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 10 वर्ष तीनों ना.बा. सरपरस्त माता शाहिस्ता निवासीगण मोटामल गली बाहर शहर चंदेरी।

2.मोहम्मद सलीम पुत्र करीम वक्स आयु 36 वर्ष।

3.मोहम्मद वसीम पुत्र करीम वक्स आयु 30 वर्ष।

सब की जाति मुसलमान, सर्व निवासीगण मोटामल गली, बाहर शहर चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0।

.....वादीगण

विरुद्ध

1.अब्दुल वकील (मृत) पुत्र मोहम्मदी आयु 70 वर्ष

वारिसान

1. (अ) मोहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल वकील

1. (ब) जहीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील

1. (स) लईक मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील

सभी मुसलमान सभी निवासीगण, मोटामल गली, बाहर शहर चंदेरी

1. (द) आविदा बानो पत्नी फईम मोहम्मद मुसलमान निवासी

मछियापुरा चंदेरी

1. (इ) खालिदा बानो पत्नी नसीम मोहम्मद मुसलमान निवासी चौखंडी मोहल्ला बाहर शहर चंदेरी म0प्र0।

2. सगीर अहमद पुत्र अलाबक्स आयु 55 वर्ष

3. अनीस अहमद पुत्र अलाबक्स आयु 52 वर्ष

4. हफीजन वी विधवा अलाबक्स आयु 70 वर्ष

सब का पेशा साडी बुनाई, सब की जाति मुसलमान

सब निवासीगण वार्ड क्र. 17, मोटामल गली बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

वारिसान

4. (अ) वानो पुत्री हफीजन मदिन अब्दुल अलीम टुनटुनी निवासी कलारी मोहल्ला बाहर शहर चंदेरी

4. (ब) हनीफा पुत्री हफीजन पत्नी शकील टुनटुनी निवासी बुनकर कॉलोनी एक्सचेंज के सामने चंदेरी

4. (स) फरीदा पुत्री हफीजन पत्नी आसिफ हुसैन निवासी कलारी मोहल्ला बाहर शहर चंदेरी।

.....प्रतिवादीगण

5. शकील पुत्र गुलाम मोहम्मद आयु 56 वर्ष निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने गांधी नगर चंदेरी।

6. अब्दुल वाजिद पुत्र अब्दुल वाहिद आयु 64 वर्ष

7. शहीद पुत्र अब्दुल वाहिद आयु 55 वर्ष

8. अब्दुल रशीद पुत्र करीम बक्स आयु 50 वर्ष

9. अब्दुल रईस पुत्र करीम बक्स आयु 48 वर्ष

10. अब्दुल नसीर पुत्र करीम बक्स आयु 43 वर्ष

सब की जाति मुसलमान सब निवासीगण वार्ड क्रं0 17 बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद चंदेरी
म0प्र0

..... फोरमल पक्षकार

वादी द्वारा श्री मिर्जा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 मृत। विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी 1अ
से 1स एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 4 द्वारा श्री अंशुल
श्रीवास्तव अधिवक्ता।

शेष प्रतिवादीगण द्वारा श्री जाफरी अधिवक्ता।

शेष प्रतिवादीगण क्रमांक 2, 5, 6 व 11 पूर्व से एकपक्षीय।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध कस्बा चंदेरी वार्ड क्रमांक 17 बाहर शहर, मोटामल की गली स्थित मकान क्रमांक 02 में करीमबक्स के रहवासी अंश (जिसे आगे विवादित मकान से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व द गौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उन्होंने जो दावा प्रस्तुत किया है उसमें विवादित मकान वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज मोटामल की संपत्ति है। वादीगण के अनुसार मोटामल ने उक्त मकान अपने तीनों पुत्रों को रहने के लिए दिया था जिसका एक भाग अब्दुल वाहिद, दूसरा भाग मोहम्मदी और तीसरा भाग गुलाम मोहम्मद को रहने के लिए मिला था। वादीगण के अनुसार मोटामल की मृत्यु के बाद सभी पुत्र उक्त विवादित मकान में शामिल सरीक रूप से रहते रहे तथा परिवार के बड़े लडके होने के नाते सरकारी कागजातों में विवादित मकान का बड़े भाई मोहम्मदी का नाम लिखा गया, जबकि

उस पर तीनों भाइयों का बराबर-बराबर हिस्सा था। वादीगण के अनुसार अब्दुल वाहिद की मृत्यु के बाद उनके तीनों पुत्रगण को अब्दुल वाहिद का रहवासी भाग मिला तथा वे अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं तथा प्रतिवादीगण ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 की नीयत खराब हो गई है और जब करीम बक्स ने नगर पालिका चंदेरी में अपने रहवासी अंश का नामांतरण कराया तब प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने नामांतरण की अपील कर दी थी और साथ ही स्वत्व घोषणा का दावा भी कर दिया, जिसके कारण वादीगण को दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादीगण के अनुसार करीमबक्स की मृत्यु हो गई है, किंतु करीम बक्स द्वारा अपना रहवासी अंश वादीगण को हिवा कर देने के कारण उन्हें विवादित भवन में स्वत्व प्राप्त हो गए हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित मकान का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जाए और साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार विवादित मकान वादीगण के पूर्वजों का नहीं है तथा वह अब्दुल वकील एवं अलाबक्स के पिता मोहम्मदी के स्वामित्व का है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण एवं उनके पिता चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा उन्होंने आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद भी नामांतरण गलत रूप से सांठ-गांठ करके करा लिया। प्रतिवादीगण के अनुसार करोड़ी मोटामल का विवादित मकान से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण ने यह भी अभिवचित किया है कि करीमबक्स द्वारा वादीगण को उक्त मकान हिवा नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण कस्बा चंदेरी के वार्ड क्रमांक 17 मोहल्ला बाहर शहर मोटामल की गली स्थित मकान क्रमांक 2 में से करीम बक्स (मृत पिता) के रहवासी अंश जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, की स्वत्व घोषणा करीब बक्स या वादीगण के नाम कराने के अधिकारी हैं ?	“नहीं”
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य के वादग्रस्त भवन में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	“नहीं”
03.	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	“नहीं”
04.	क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	“हां”
05.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 मोहम्मद वसीम, वा. सा. 02 मोहम्मद सलीम, वा.सा. 03 जयसिंह, वा.सा. 04 सगीर अहमद की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्रपी 01 लगायत प्रपी 35 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 शरीफ अहमद, प्र.सा. 02 अब्दुल रसीद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रडी 01 लगायत प्रडी 07 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 03, 04 एवं 05 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 02 ::—

08. वा.सा. 01 मोहम्मद वसीम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित मकान उनके परदादा कडोरे मोटामल का है तथा उनके दादा अब्दुल वाहिद की मृत्यु के बाद उन्हें मिला। उक्त साक्षी के अनुसार उनके पिता की मृत्यु के बाद वे लोग उक्त मकान में रह रहे हैं जिस पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। वा.सा. 01 के अनुसार करीम की मृत्यु के बाद इसकी संपत्ति के अधिकारी वादीगण हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसे विवादित मकान मोहम्मदी के नाम होने की जानकारी है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके पिता का नामांतरण गलत तरीके से हुआ है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित भवन वर्तमान में नगर पालिका रिकार्ड चंदेरी में उनके नाम नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि विवादित भवन का बंटवारा हुआ है या नहीं। वा.सा. 02 मोहम्मद सलीम ने भी अपने कथन में वा.सा. 01 के अनुसार मुख्यपरीक्षण में बातें बताई हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना

है कि उनके पिता ने उन तीनों भाइयों को अपने जीवनकाल में संपत्ति से बेदखल कर दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित भवन करोडे मोटामल के नाम रिकॉर्ड में रही है, ऐसा कोई दस्तावेज उन्होंने प्रकरण में पेश नहीं किया है। वा.सा. 03 जयसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसने विवादित भवन देखा है। उक्त साक्षी के अनुसार विवादित भवन में मोटामल के खानदान के लोग रहते हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि करीमबक्स के पिता की मृत्यु कब हुई, उसे जानकारी नहीं है। वा.सा. 04 शगीर अहमद ने अपने कथन में बताया है कि करीम बक्स ने अपने हिस्से का जो नामांतरण कराया है वह सही कराया है तथा उस पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

09. प्र.सा. 01 शरीफ अहमद ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भवन मोहम्मदी मोटामल के स्वत्व का था। उक्त साक्षी के अनुसार करीमबक्स का उनके लडकों से विवाद होता था और उन्होंने कुछ दिनों के लिए उसके पिता से उक्त भवन में कुछ कमरे रहने के लिए मांगे थे और यह आश्वासन दिया था कि जब उनका मकान बन जाएगा तब वे उक्त भवन के कमरों को खाली कर देंगे। उक्त साक्षी के अनुसार उनके पिता ने करीम बक्स के विरुद्ध पृथक् से भवन खाली कराने के लिए दावा पेश किया है जो कि विचाराधीन है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वादीगण उक्त विवादित मकान पर कब्जा किए हुए हैं तथा विवादित भवन का नगरपालिका में टैक्स उसने जमा किया है। प्र.सा. 02 अब्दुल रसीद ने अपने कथन में बताया है कि वादीगण ने दावा एवं हिवानामा गलत प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त मकान में रह रहे हैं तथा जिस मकान में वह रह रहा है वह उसके दादा ने उसे रहने के लिए दिया था।

10. प्रकरण में वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भवन में उनका स्वत्व है। वहीं प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित भवन में वादीगण का स्वत्व नहीं

है। वादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उनमें वा.सा. 03 के अनुसार उसने प्रकरण में वादीगण को विवादित भवन में रहते हुए देखा, किंतु मात्र इस आधार पर कि विवादित भवन में वादीगण निवासरत हैं, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादीगण का उक्त विवादित भवन में स्वत्व है। वादीगण की ओर से जो उपरोक्त मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण उक्त विवादित भवन में निवासरत है। प्रतिवादीगण ने भी अपनी मौखिक साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि वादीगण उक्त विवादित भवन में निवासरत हैं, किंतु मात्र इस आधार पर कि वादीगण उक्त विवादित भवन में निवासरत हैं, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादीगण उक्त विवादित भवन के स्वत्वाधिकारी हैं। वादीगण उक्त विवादित भवन के स्वत्वाधिकारी हैं कि नहीं, यह वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना के उपरांत ही निश्चित हो पावेगा।

11. वादीगण ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं उनमें प्रपी 01 व्याहार न्यायालय वर्ग— 01 चंदेरी में प्रस्तुत किया गया वादपत्र है, किंतु उक्त वादपत्र के आधार पर यह निष्कर्ष देना संभव नहीं है। वादीगण के अनुसार वे उक्त विवादित भवन के अपने भाग के स्वत्वाधिकारी हैं, किंतु वादीगण ने अपने वादपत्र में स्पष्ट नहीं किया है कि वे लोग उक्त विवादित भवन के कौन-से भाग में निवास कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने का दायित्व वादीगण पर था। वादीगण ने अपने वादपत्र में मात्र यह अभिवचित किया है कि वे करीम बक्स के रहवासी अंश के स्वत्वाधिकारी हैं, किंतु उनके द्वारा करीम बक्स के रहवासी अंश को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है। प्रपी 02 का जो नक्शा वादीगण ने प्रस्तुत किया है उससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

12. वादीगण के अनुसार उन्हें प्रपी 35 के हिवानामे के अनुसार उक्त विवादित भवन में करीमबक्स के भाग का हिवा प्राप्त हुआ था। उक्त हिवानामा

करीम बक्स द्वारा अपने तीन पुत्रों के पक्ष में अपने भाग का हिवा किया गया है, जबकि करीमबक्स के छः पुत्र थे। उल्लेखनीय है कि उक्त हिवानामा के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त हिवानामा करीम बक्स द्वारा उस समय लिखा गया है जब वह अत्यंत बीमार थे तथा शरीर से लाचार हो गए थे और इस प्रकार उनके द्वारा उक्त संपूर्ण संपत्ति का हिवा कर दिया गया है, जबकि विधि अनुसार वे संपूर्ण संपत्ति का हिवा गंभीर बीमारी के समय नहीं कर सकते और जो नियम वसीयत पर लागू हैं वे दान पर भी लागू होते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का $1/3$ से अधिक भाग की वसीयत नहीं कर सकता तथा उपरोक्त परिस्थिति में किये गये दान में भी $1/3$ से अधिक भाग का दान नहीं कर सकता। यह भी आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में अन्य वारिसान इस संबंध में अपनी सहमति भी दें। उक्त हिवानामे में करीम बक्स द्वारा अपने संपूर्ण भाग का हिवा किया गया है जो कि मुस्लिम विधि से वर्जित है और साथ ही उक्त हिवानामे में इस तथ्य का उल्लेख भी नहीं है कि अन्य वारिसान ने हिवानामे के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादीगण ने उक्त हिवानामा प्रस्तुत तो किया है, किंतु हिवानामा प्रमाणित भी नहीं कराया है तथा मात्र हिवानामा प्रस्तुत कर देने से प्रमाणित नहीं हो जाता। हिवानामा प्रमाणित होने के आवश्यक था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दान की प्रक्रिया प्रमाणित होती। इस प्रकार वादीगण को हिवानामा के आधार पर उक्त विवादित भवन में स्वत्व प्राप्त नहीं होते।

13. वादीगण ने जो अन्य दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं, उनमें प्रपी 7 के दस्तावेज के आधार पर उक्त विवादित भवन पर करीमबक्स का नाम दर्ज होना दर्शित हो रहा है। प्रपी 08, प्रपी 09 एवं प्रपी 10 के दस्तावेज उक्त नामांतरण पर आपत्ति के संबंध में हैं। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट रूप से वंशवृक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि स्थिति स्पष्ट होने के लिए ऐसा आवश्यक था। वादीगण ने प्रपी 11

लगायत प्रपी 24 के जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं वे भूमि कर से संबंधित हैं तथा उनके आधार पर स्वत्व संबंधी निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। प्रपी 25 के प्रमाण पत्र के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि उक्त विवादित भवन पर करीम बक्स का नाम डिमांड पंजी पर दर्ज किया गया है। प्रपी 26 लगायत प्रपी 29 भी नगर पालिका की रसीदें हैं तथा प्रपी 30 एवं प्रपी 33 उक्त विवादित भवन के नक्शे हैं, किंतु उल्लेखनीय है कि उक्त नक्शों को नक्शा निर्मित करने वाले विशेषज्ञ से प्रमाणित नहीं कराया गया है। उक्त नक्शे मात्र प्रस्तुत कर देने से उक्त नक्शे प्रमाणित नहीं हो जाते। उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं उनमें प्रडी 03 के प्रमाण पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वार्ड नंबर 17 में करीम बक्स के नाम कोई भवन अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज वादीगण द्वारा दिए गए दस्तावेजों से पूर्णतः विपरीत है तथा वादीगण द्वारा दिए गए अभिवचनों पर संशय की स्थिति उत्पन्न करता है।

14. इस प्रकार वादीगण ने जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है वह न केवल अस्पष्ट है, बल्कि वादीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि वादीगण को अकेले उक्त विवादित भवन पर स्वत्व अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह भी प्रमाणित नहीं होता कि वादीगण के उक्त आधिपत्य में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न कं.—03 ::—

15. वादीगण के अनुसार दिनांक 29.11.12 को उन्हें वाद कारण प्राप्त हुआ था तथा उनके द्वारा दिनांक 04.03.13 को वाद प्रस्तुत किया गया। वादीगण ने जो वाद कारण दिनांक बताया है उक्त दिनांक से वाद परिसीमा समय के भीतर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादीगण का वाद अवधि बाह्य नहीं है।

परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-04 ::—

16. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद का सही मूल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क अदा किया जाना प्रकट हो रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-05 ::—

17. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सब्यय निरस्त किया जाता है।

18. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर